FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

। अदालत जिला कलक्टर, झुंझुनू मुकाम झुंझुनू

न कुमार पुत्र जुगल किशोर, जाति ब्राह्मण, निवासी पिलानी खुर्द, पुलिस थाना बिसाउ, तहसील सीसर, जिला झुंझुनूं **बनाम** उपखण्ड अधिकारी मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

म प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा **नम्बर 37 सन् 2021**

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2021	प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र जुगल किशोर, जाति ब्राह्मण, निवासी पिलानी खुर्द, पुलिस थाना बिसाउ, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं ने आज एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण उनवानी मनीष कुमार बनाम शिवकरण वगैरह को पुनः नम्बर पर लेने का प्रा0प0 उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा लेने से मना करने पर प्रार्थी ने दिनांक 24.02.2021 को एक प्रा0प0 जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को निर्देशित किया जावे कि वह बाजदायरी का आवेदन पत्र लेकर पहले उसे दर्ज करें एवं विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर उसका निस्तारण करे। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 24.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार करने का निर्देश दिया गया जिसे प्रार्थी दस्ती लेकर उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष पेश हुआ। जिला कलक्टर के उक्त असल आदेश प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष पेश किया गया किन्तु फिर भी उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने उक्त आदेश के बावजूद भी उक्त प्रकरण को दर्ज करने से मना कर दिया जो न्यायिक प्रकिया की अवहेलना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को अविलम्ब निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थी के प्रकरण को दर्ज करें एवं इस पर विधि अनुसार आदेश पारित करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को अविलम्ब निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थी के प्रकरण को दर्ज करें एवं इस पर विधि अनुसार आदेश पारित करे। हमने प्रार्थी के कथन एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज करने से मना करना न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थी को न्याय दिलाने की दृष्टि से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उपखण्ड अधिकारी मलसीसर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय मे आगामी सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करें। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को निर्देश	जिला कलक्टर झुंझुनूं

दिये जाते है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर संबंधित पक्षकारों को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे एवं आवश्यक होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी मलसीसर एवं उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्र हो। यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/02/21

(यू0डी0खा0)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं